



विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

बाड़मेर । ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा निर्माण, स्थापित, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसे इसके पश्चात 'पारेषण योजना / परियोजना' कहा गया है) पर 'राजस्थान आरईजेड फेज-IV (पार्ट-2 : 5.5 जीडब्ल्यू) (जेसलमेर / बाड़मेर कॉम्प्लेक्स) : पार्ट एक (पार्ट एक1 एवं एक2 क्लबिंग द्वारा) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है । परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञापति की मांग की गई है निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	परियोजना के घटक की अनुसूचित सीओडी पर वसूली योग्य कोटेशन पारेषण प्रमारों की प्रतिशतता	वे घटक जो संबंधित घटक के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की घोषणा के लिए पूर्वापेक्षित हैं ।
1.	<p>2x240 एमवीएआर (765 केवी) बस रिपक्टर और 2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिपक्टर सहित 3x1500 एमवीए, 765 / 400 केवी और 2x500 एमवीए, 400-220 केवी बाड़मेर-। पूर्णिग स्टेशन की स्थापना ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>765 / 400 केवीए 1500 एमवीए आईसीटी-3 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित 10x500 एमवीए)</li> <li>765 केवी आईसीटी बे - 3 नं.</li> <li>240 एमवीएआर, 765 केवी बस रिपक्टर-2 नं (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x80 एमवीएआर)</li> <li>765 केवी बस रिपक्टर बे - 2 नं</li> <li>765 केवी लाइन बे-2 नं. [सिरौही एसएस को डी / सी लाइन के लिए]</li> <li>400 / 220 केवीए 500 एमवीए आईसीटी - 2 नं.</li> <li>400 केवी आईसीटी बे - 5 नं.</li> <li>125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिपक्टर - 2 नं.</li> <li>400 केवी बस रिपक्टर बे - 2 नं.</li> <li>400 केवी लाइन बे - 2 नं. [फतेहगढ़ ।।। (सेक्शन-2) पीएस को डी / सी लाइन के लिए]</li> <li>220 केवी आईसीटी बे - 2 नं.</li> <li>220 केवी लाइन बे : 4 नं (आरई संयोजकता के लिए)</li> <li>220 केवी बीसी (1 नं.) और टीबीसी (1 नं.)</li> </ul> <p>भावी प्रावधान : के लिए स्थान</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बे सहित 765 / 400 केवी आईसीटी - 3 नं.</li> <li>स्विचबल लाइन रिपक्टर सहित 765 केवी लाइन बे - 4 नं.</li> <li>बे सहित 765 केवी बस रिपक्टर: 1 नं.</li> <li>400 केवी लाइन बे - 4 नं.</li> <li>स्विचबल लाइन रिपक्टर सहित 400 केवी लाइन बे - 4 नं.</li> <li>बे सहित 400 / 220 केवी आईसीटी - 8 नं.</li> <li>बे सहित 420 केवी बस रिपक्टर: 1 नं.</li> <li>400 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 2 सेट</li> <li>आरई आवेदनों की संयोजकता के लिए 220 केवी लाइन बे: 10 नं.</li> <li>220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 3 सेट</li> <li>220 केवी बीसी (3 नं.) एवं टीबीसी (3 नं.)</li> <li>एमएससी (4x125 एमवीएआर) सहित स्टैकॉम (2x±300 एमवीएआर) एवं दो नंबर 400 केवी बे सहित एमएसआर (2x125 एमवीएआर)</li> </ul>	7.11.2026	28.45 %	योजना के सभी घटकों को साथ-साथ आरंभ किया जाना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग एक दूसरे पर आश्रित है ।
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>फतेहगढ़- ।।। (सेक्शन-2) पीएस - बाड़मेर-। पीएस 400 केवी डी / सी लाइन (क्वेंद)</li> <li>फतेहगढ़ ।।। (सेक्शन-2) पीएस पर 400 केवी लाइन बे का 2 नं.</li> </ul>		6.65 %	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रत्येक सिरे के प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिपक्टर सहित बाड़मेर-। पीएस-सिरौही पीएस 765 केवी डी / सी लाइन</li> <li>सिरौही पीएस पर 765 केवी लाइन बे का 2 नं.</li> <li>बाड़मेर-। पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिपक्टर - 2 नं.</li> <li>सिरौही पीएस पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिपक्टर - 2 नं.</li> </ul>		64.90%	

नोट:

- सिरौही पीएस का विकासकर्ता स्विचबल लाइन रिपक्टर के लिए स्थान सहित सिरौही पीएस पर 765 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा ।
- फतेहगढ़- ।।। पीएस (सेक्शन-2) का विकासकर्ता फतेहगढ़- ।।। पीएस (सेक्शन-2) पर 400 केवी लाइन बे के दो नंबरों के लिए स्थान प्रदान करेगा ।
- स्विचबल लाइन रिपक्टरों को एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया जाएगा ।
- संज्ञक ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 22.11.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है ।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 509 / टीएल / 2024 में दिनांक 12.3.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथालिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञापति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है ।
- बाड़मेर । ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है ।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पत्र पर दिनांक 24.3.2025 तक अधोदस्ताक्षरी को भेज दिया जाए । विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- आयोग द्वारा दिनांक 25.3.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी । कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा ।

हस्ता / -  
(हस्ताक्षर सिंह प्रथी)  
सचिव

